

कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी (चूरु)

क्रमांक / केवीके / चांदगोठी / 2022-23 / 275-278

दिनांक 13.05.2022

निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या 1 / 2022-23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र फार्म पर वर्ष 2022-23 में खरीफ व रबी फसल एवं सब्जी उत्पादन हिस्सा आधारित खेती करने के लिए निविदा () दिनांक 27.05.2022 को सायं 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 27.05.2022 को दोपहर 2.00 बजे कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय समय (10.0 से 5.0 बजे तक) में 500/- अकेही पाँच सौ रु० का बैंकर चैक या डी.डी. के माध्यम से जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या निविदा प्रपत्र

<http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा www.raubikaner.org से डाउनलोड कर व भरकर कार्यालय समय में 500/- अकेही पाँच सौ रु० का बैंकर चैक या डी.डी. के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। निविदा फार्म के साथ निविदादाता को रु० 10000/- बतौर धरोहर राशी फसल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन के लिए बैंकर्स चैक या डी.डी. के माध्यम से जमा करवानी होगी। बैंकर्स चैक / डी.डी., कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु के पक्ष में देय होगी।

UBN SKA 2223 WSO B 000014


कार्यक्रम समन्वयक

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Chandgothi (Churu)

कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

कर्मोंक:- केविके / चांदगोठी / 2022-23 / 275.278

दिनांक: 13.05.2022

निविदा सूचना संख्या 01/2022-23

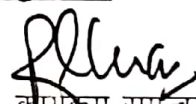
विषय: निविदा सूचना संख्या -01/2022-23 के अन्तर्गत खरीफ व रबी फसल एवं सब्जी उत्पादन की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु ।

कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु फार्म पर वर्ष 2022-23 के लिए हिस्सा आधारित खरीफ व रबी एवं सब्जी उत्पादन फसल खेती करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है

1	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रु 500.00 डी.डी. अथवा बैंकर्स चेक
2	निविदा संदर्भ	खरीफ व रबी फसल एवं सब्जी व नर्सरी उत्पादन की हिस्सा आधारित खेती करने हेतु निविदा
3	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र-क और ख
4	अनुमानित लागत	4.00 लाख फसल उत्पादन + 1.00 लाख सब्जी उत्पादन
5	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	13.05.2022 से 27.05.2022 सांय 1.00 बजे तक
6	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की तिथि	13.05.2022 से 27.05.2022 सांय 1.00 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि व समय	27.05.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे
8	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु
9	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2022 व रबी 2022.23

निविदा फार्म शुल्क रु 500/- व धरोहर राशि फसल उत्पादन तथा सब्जी व नर्सरी उत्पादन के लिए रु 10000/- का डी. डी. अथवा बैंकर्स चेक कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु के नाम पर देय होंगे। धरोहर राशि फार्म के साथ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 27.05.2022 तक सांय 1.00 बजे तक कार्यालय समय में जमा करवायी जा सकती हैं ।

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट <http://raubikaner.org> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।



कार्यक्रम समन्वयक

Programme Coordinator
Krishi Vigyan Kendra
Chandgothi (Churu)

कृषि विज्ञान केन्द्र, चांदगोठी-चूरु
प्रसार शिक्षा निदेशालय
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)

निविदा फार्म (क)

निविदा सूचना क्रमांक:केवीके/चांदगोठी/2022-23/275.278

दिनांक 13.05.2022

योजना का नाम : खरीफ व रबी फसल एवं सब्जी व नर्सरी उत्पादन 2022-23 हिस्सा आधारित खेती बजट हेड: रिवोल्विंग फंड

निविदादाता का नाम एवं पूरा पता		
निविदादाता का आधार नं० एवं प्रति सलग्न करें।		
धरोहर राशि का विवरण		
निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:		
क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा
2.	दाना/बीज/उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा
3.	सब्जी व नर्सरी उत्पादन	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा

निविदा की शर्तें (ख) :-

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित फसल उत्पादन व सब्जी व नर्सरी उत्पादन खर्च राशी रुपये 5 लाख का 2 प्रतिशत) रुपये 10000/- खर्च राशी रुपये व निविदा प्रपत्र शुल्क 500/-रु० अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैकर्स चेक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतौर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा नौ ड्यूज प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
2. निविदादाता को रुपये 50/- के एफिडेविट पर यह लिख कर देना होगा कि निविदादाता/फर्म/एजेन्सी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
3. किसी प्रकार की काउण्टर कण्ट्रीन मान्य नहीं होगी।
4. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा असफल निविदादाता की धरोहर राशी कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चेक द्वारा वापस लौटा दी जायेगी।
5. निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जायेगी एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
7. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी।
8. बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
9. विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियायें फार्म इंचार्ज व कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
10. थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य रहेगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय कृषि उपज गंडी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चेक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
11. फसल कटाई के मामले में कटी हुई फसलों को कहा इक्काटा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्म इंचार्ज से सम्पर्क कर बताये अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।

12	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म इंचार्ज अथवा कार्यक्रम समन्वयक को होगा।
13	केंद्र के फार्म पर फसल एवं फेरम का चुनाव तथा बुवाई एवं अन्य कृषि कार्य फार्म इन्चार्ज व कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये अनुसार समय पर पूर्ण करना होगा।
14	निराई गुड़ाई सभी फसलों में अनिवार्य रूप से समय पर करवानी होगी व खरपतवार अधिक होने पर निराई गुड़ाई का कार्य दुबारा भी करवाया जा सकता है।
15	सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर फार्म से लिये गये पाईप, नॉजल व अन्य कृषि उपकरण फार्म इंचार्ज को सम्भलवाकर कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र फार्म इंचार्ज से लेना होगा इसके बाद ही हिस्सा राशि का भुगतान होगा।
16	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियो में भरकर फार्म इन्चार्ज/कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये अनुसार केंद्र कमेटी के समक्ष तोलकर गोदाम में बोरियों की ढाग निविदादाता को लगानी होगी व कमेटी द्वारा उत्पादन में नमी प्रतिशत एवं अन्य खरपतवार बीज प्रतिशत निकालकर उत्पादन जमा किया जायेगा।
17	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा केंद्र द्वारा वहन किया जायेगा।
18	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्रौली उपलब्ध करवादी जावेगी।
19	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म इंचार्ज की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा व नहीं करवाने की स्थिति में केंद्र कमेटी की देखरेख अन्य मजदूरों से कार्य करवाने पर इस कार्य में लगी खर्च राशि निविदादाता के भुगतान से कटौती कर कार्य में लगे मजदूरों को भुगतान कर दिया जायेगा।
20	पम्प व ट्यूब वेल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख व रखरखाव का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा व पाईप लाईन में कहीं भी पानी का रिसाव होने पर रिसाव रोकने का कार्य निविदादाता को करना होगा व फसल कटाई उपरान्त सभी पाईप लाईन ठीक कर सम्भलवानी होगी।
21	ट्यूब वेल के विद्युत बिल का भुगतान केंद्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा।
22	फार्म पर कार्य करने वाला मजदूर जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं कृषि कार्य सम्बन्धित हेतु ट्रैक्टर चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
23	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केंद्र की थ्रेसर उपलब्ध होने पर अन्य से कार्य नहीं कराया जायेगा।
24	निविदादाता को निविदा मंजूर होने के पश्चात् 5 दिवस में शेष 3 प्रतिशत राशि बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, चांदगोटी-चूरु के नाम केवीके कार्यालय में जमा करवाना होगा। एवं 100 रु० के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा फार्म से सम्बन्धित फार्म इंचार्ज/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बताया गया कार्य समय पर संतुष्टि पूर्ण पूरा न करने पर केंद्र कमेटी के निर्णय के आधार पर मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है।
25	कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार फार्म इंचार्ज/कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर को मान्य होगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ़ी हैं तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर